न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–258 / 2026

(उत्पाद झंझारपुर थाना कांड संख्या–219 / 2025; अन्तर्गत धारा: 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम संतोष कुमार

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
27.04.2026 लगातार...	आवेदक अभियुक्त **संतोष कुमार,** उम्र–48 वर्ष, पिता–राजा राम यादव, सा0–बिशणपुर, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी की ओर से उत्पाद झंझारपुर थाना कांड संख्या 219 / 2025 (अन्तर्गत धारा: 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 17.03.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नागेश्वर यादव द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक वयस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे चार अन्य आपराधिक इतिहास (उत्पाद झंझारपुर थाना कांड सं0–181 / 2025, फुलपरास थाना कांड सं0–459 / 2021, 262 / 2022, खुटौना थाना कांड सं0–27 / 2024) है तथा चारो वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। याचिकाकर्ता को उनके ग्रामीण दुश्मनी के द्वारा झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला पुरी तरह झूठा और मनगढ़त है। याचिकाकर्ता के पास से शराब की बरामदगी नही हुई है। याचिकाकर्ता न्यायप्रिय व्यक्ति है एवं उसके फरार होने तथा उनके द्वारा साक्ष्य से साथ छेड़छाड़ किये जाने की कोई संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देशो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर किए गए छापेमारी के क्रम मे आवेदक घटनास्थल से भागने मे सफल रहे परन्तु घटनास्थल से कुल 405 लीटर नेपाली देशी मामाश्री शराब बरामद किया गया है। याचिकाकर्ता का इस कांड के अलावे चार अन्य आपराधिक इतिहास भी है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 23.11.2025 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल पूर्वाहन् समय करीब 10:45 बजे विशनपुर वार्ड न0–17 स्थित समीर गैरेज के पास पहुंची तो पुलिस बल को देखकर कुछ लोग भाग गये परन्तु आस–पास के लोगो द्वारा भागने मे सफल रहे व्यक्ति के रूप मे आवेदक संतोष यादव का नाम बताया गया तथा यह भी बताया गया कि यह कमरा तरूण कुमार उर्फ ललन द्वारा किराए पर लिया गया है एवं वह अपने भाई गगन कुमार तथा आवेदक के साथ मिलकर अवैध शराब का कारोबार करते है। तलाशी के क्रम मे उक्त कमरे के अंदर रखे चौकी के नीचे से 09 प्लास्टिक का बोरा, प्रत्येक बोरा 05 पेटी, प्रत्येक पेटी 30 बोतल, प्रत्येक बोतल 300 मि0ली0, कुल 405 लीटर नेपाली देशी मामाश्री शराब बरामद किया	

उपस्थित:–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–258/2026

(उत्पाद झंझारपुर थाना कांड संख्या–219/2025; अन्तर्गत धारा: 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम संतोष कुमार

27.04.2026	गया। कांड दैनिकी के कंडिका 28 (शराब जांच प्रतिवेदन) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि जप्त पदार्थ शराब है। कांड दैनिकी के कंडिका 43 एवं आवेदक के जमानत आवेदक के कंडिका 03 के अवलोकन के परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे चार अन्य आपराधिक इतिहास (उत्पाद झंझारपुर थाना कांड सं0–181/2025, फुलपरास थाना कांड सं0–459/2021, 262/2022, खुटौना थाना कांड सं0–27/2024) है तथा चारो वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 03, 04, 05, 06, 10 एवं 15 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा स्थानीय लोगों द्वारा घटनास्थल से भागने मे सफल रहे व्यक्ति के रूप मे आवेदक का पहचान किया गया है एवं घटनास्थल से भारी मात्रा मे शराब के बरामदगी की पुष्टि की गयी है जिससे प्रथम दृष्टिया आवेदक के इस कांड मे एवं शराब के भंडारण तथा कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम, याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **संतोष कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोष्णीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 27.04.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित:–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि० न्या० उ०, झंझारपुर

Scanned with CamScanner